राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1428 / 2022

शिवनाथ सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, उप निवेशन विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, उप निवेशन, बीकानेर।
3. प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) एवं उपायुक्त, उप निवेशन, बीकानेर।
4. उप निवेशन तहसीलदार, जैसलमेर।
5. अनोपाराम, भू–अभिलेख निरीक्षक, निरीक्षक मण्डल, दावरीवाला, तहसील नाचना–I, जैसलमेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक : 11.01.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी सं.5 की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपील में अपीलार्थी का कथन रहा है कि अपीलार्थी की पदोन्नति भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर आदेश दिनांक 09.02.2022 के द्वारा की गयी थी और अपीलार्थी की पदोन्नति के पश्चात् पदस्थापन होने तक यथावत् पटवार मण्डल, बांधा, जैसलमेर में रखा गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 10.02.2022 को कार्य ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 19.04.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप निवेशन, तहसील जैसलमेर नि.म., धनाना में रिक्त पद पर किया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 22.04.2022 को धनाना में कार्य ग्रहण कर लिया। उनका कथन है कि उक्त आदेश दिनांक 19.04.2022 के द्वारा ही निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 अनोपाराम का स्थानान्तरण उपनिवेशन, तहसील जैसलमेर प.म., धनाना से उप निवेशन, तहसील नाचना नं.1, नि.म., टावरीवाला में किया गया, जिन्हें कार्यमुक्त किया जा चुका है। किन्तु निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 ने उक्त आदेश की पालना नहीं की और टावरीवाला में कार्य ग्रहण नहीं किया। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने निजी प्रत्यर्थी को अनुचित लाभ देने के प्रयोजन से उसे समंजित करने के आशय से आलोच्य आदेश दिनांक 26.04.2022 के द्वारा अपीलार्थी को गलत प्रकार से

पदस्थापनाधीन मानते हुए उसका स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 के स्थान पर निरीक्षक मण्डल टावरीवाला उप निवेशन तहसील नाचना–1 में किया तथा निजी प्रत्यर्थी का पदस्थापन उसे पदस्थापनाधीन मानते हुए अपीलार्थी के स्थान पर किया, जो अपने आप में अवैध व अनुचित है।

2. इस अपील में अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.04.2022 को पारित कर स्थानान्तरण आदेश दिनांक 26.04.2022 की क्रियान्विति को अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया एवं अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखने का आदेश दिया गया, जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

3. प्रत्यर्थी विभाग ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि आदेश दिनांक 19.04.2022 की पालना में अपीलार्थी को केवल निरीक्षक हल्का, धनाना का कार्यभार हस्तान्तरित किया जाना था, जो कि दिनांक 26.04.2022 तक अपीलार्थी को हस्तान्तरित नहीं हुआ था। अतः दिनांक 19.04.2022 को जारी पदस्थापन आदेश की अपीलार्थी के सम्बन्ध में सम्पूर्ण पालना दिनांक 26.04.2022 तक नहीं होने पर अपीलार्थी को पदस्थापनाधीन मानते हुए संशोधन आदेश दिनांक 26.04.2022 जारी किया गया, जो किसी भी प्रकार से विधि विरूद्ध नहीं है। अपीलार्थी ने कार्यालय द्वारा जारी पदस्थापन आदेश दिनांक 19.04.2022 की पालना में दिनांक 22.04.2022 को कार्य मुक्त करने तथा उसी दिन दिनांक 22.04.2022 को ही निरीक्षक मण्डल, धनाना पर कार्य ग्रहण करने का उल्लेख किया है, जबकि अपीलार्थी पटवारी के पद पर उप निवेशन तहसील जैसलमेर में ही पटवार मण्डल, बांधा पर कार्यरत था तथा अपीलाधीन संशोधन आदेश जारी करने की दिनांक 26.04.2022 तक भी उनके द्वारा न तो पटवार मण्डल, बांधा का कार्यभार दिया न ही निरीक्षक मण्डल, धनाना का कार्यभार प्राप्त किया। ऐसी स्थिति में पदस्थापन आदेश दिनांक 19.04.2022 का भौतिक रूप से दिनांक 26.04.2022 तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ था। अतः तद्नुसार अपीलार्थी को पदस्थापनाधीन मानते हुए संशोधन आदेश दिनांक 26.04.2022 जारी किया गया।

4. उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के उप निवेशन तहसील, जैसलमेर मुख्यालय पर गत तीन वर्षो से अधिक समय से पदस्थापित होने, प्रत्यर्थी सख्या–5 अनोपाराम के शारिरिक रूप से विकलांग होने, उप निवेशन, तहसील जैसलमेर में भू–अभिलेख निरीक्षक का केवल एक पद रिक्त होने वहीं

उप निवेशन, तहसील नाचना नं.1 ने केवल एक ही भू–अभिलेख निरीक्षक कार्यरत होने इत्यादि प्रशासनिक कारणों एवं विभाग की कार्य व्यवस्था के मध्य नजर नियमानुसार संशोधन आदेश दिनांक 26.04.2022 जारी किया गया, जिसमें किसी प्रकार से नियमों का उल्लंघन नहीं है। उक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा मांगा गया अनुतोष अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः यह अपील खारिज फरमायी जावे।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से स्थगन आदेश को निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया।

6. निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आदेश दिनांक 26.04.2022 की पालना में निजी प्रत्यर्थी ने उप निवेदन तहसील जैसलमेर नि.म. धनाना में कार्य ग्रहण कर लिया है और अपीलार्थी को वहां से कार्यमुक्त किया जा चुका है। उनका यह भी कथन है कि आदेश दिनांक 26.04.2022 प्रशासनिक कारणों से जारी किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान तहसील में वर्ष 2006 से कार्यरत है और पदोन्नति के बाद अन्य तहसील में स्थानान्तरित किया गया है। ऐसे में आदेश दिनांक 26.04.2022 विधिपूर्ण तरीके से जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण लम्बे समय पश्चात किया गया है, जो कि उसकी पदोन्नति के बाद पारित किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी स्थानान्तरण पर आपत्ति नहीं उठा सकता है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे। निजी प्रत्यर्थी ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डॉ. अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4676/2000 एवं श्रीमती मीनाक्षी शर्मा बनाम राज्य व अन्य एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या–10428/2009 प्रस्तुत किये ।

7. हमनें उभय पक्षकारों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलार्थी व निजी प्रत्यर्थी दोनों की पदोन्नति के पश्चात नवीन पदस्थापन आदेश दिनांक 19.04.2022 को जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी का पदस्थापन उप निवेशन तहसील, जैसलमेर प.म. बांधा से उप निवेशन, तहसील जैसलमेर नि.म. धनाना में एवं निजी प्रत्यर्थी का पदस्थापन उप निवेशन, तहसील जैसलमेर प.म. धनाना से उप निवेशन, तहसील नाचना नं.1 नि.म. टावरीवाला में किया गया। अपीलार्थी द्वारा

प्रस्तुत आदेश दिनांक 22.04.2022 (अनुलग्नक–4) से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने उक्त स्थानान्तरण के पश्चात नि.म. धनाना में कार्यभार ग्रहण कर लिया था। आलोच्य आदेश दिनांक 26.04.2022 अपीलार्थी के कार्य ग्रहण करने के चार दिन पश्चात जारी किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का अल्प समय में ही स्थानान्तरण किया गया है। यह भी प्रकट हुआ है कि पदोन्नति के पश्चात निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण नाचना–1, नि.म. टावरीवाला में किया गया। वहां पर निजी प्रत्यर्थी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया और निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर लगाया गया और अपीलार्थी का स्थानान्तरण नाचना प्रथम, नि.म. टावरीवाला में निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर किया गया। ऐसे में स्पष्ट रूप से निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने के आशय से संशोधित आदेश दिनांक 26.04.2022 पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण उस स्थान पर किया गया है, जहां पर पूर्व में निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण किया गया था। स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने के आशय से संशोधन आदेश दिनांक 26.04.2022 जारी किया गया है, जो किसी प्रकार से उचित प्रकट नहीं होता है। इसके अलावा यह भी प्रकट हुआ है कि जब निजी प्रत्यर्थी ने कार्य ग्रहण कर लिया था तो संशोधन आदेश पारित किया जाना उचित नहीं था। संशोधन आदेश में उसे पदस्थापनाधीन नहीं दिखाया जा सकता। ऐसे में संशोधन आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी किया जाना प्रकट होता है।

9. निजी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं, वह प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की दृष्टि से स्थानान्तरण किया जाना प्रकट है। ऐसी स्थिति में हम आलोच्य आदेश दिनांक 26.04.2022 को विधिपूर्ण होना नहीं मानते है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार हस्तगत अपील स्वीकार करते हुए अधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 28.04.2022 को सम्पुष्ट किया जाता है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 26.04.2022 (अनुलग्नक–1) को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)